



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-ओ.आर.-अ.-06042024-253590
CG-OR-E-06042024-253590

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1552]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 5, 2024/चैत्र 16, 1946

No. 1552]

NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 5, 2024/CHAITRA 16, 1946

रेल मंत्रालय

[पूर्व तट रेलवे निर्माण]

अधिसूचना

भुवनेश्वर, 5 अप्रैल, 2024

का.आ. 1635(अ).—केंद्रीय सरकार, रेल अधिनियम 1989 की धारा 2 के खंड (37 ए) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिनियम के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से नीचे दी गई सारणी के कॉलम (3) में उल्लिखित राज्य में, उक्त सारणी के कॉलम (2) में, यथा उल्लिखित परियोजना को निम्नलिखित विशेष रेल परियोजना के रूप में अधिसूचित करती है।

सारणी
विशेष रेल परियोजना

क्र. सं.	परियोजना का नाम	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र
(1)	(2)	(3)
1.	विशेष रेल परियोजना के रूप में – सिम्हाचलम में सतही क्रॉसिंग की स्थिति से बचने हेतु, पेंदुर्ति (पीडीटी) और उत्तर सिम्हाचलम (एससीएमएन) के बीच फ्लाईओवर (7.015 कि.मी.)।	आंध्रप्रदेश

[फा. सं. सीई/कॉन/जेडीबी ऐट वीएसकेपी/पीडीटी-एससीएमएन फ्लाईओवर लाइन/एसआरपी]

अजय कुमार सामल, मुख्य इंजीनियर (निर्माण-I)

MINISTRY OF RAILWAYS
[East Coast Railway Condtuction]

NOTIFICATION

Bhubaneswar, the 5th April, 2024

S.O. 1635(E).—In exercise of the powers, conferred by Clause (37A) of Section – 2 of the Railways Act, 1989, the Central Government hereby notifies the following project as special railway project as mentioned in column (2) of the Table below in the State mentioned in column (3) of the Table, with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazettee.

TABLE

Special Railway Project

S.No.	Name of the Project	State/UT
(1)	(2)	(3)
1.	Flyover between Pendurthi (PDT) and Simhachalam North (SCMN) to avoid surface crossing at Simhachalam (7.015 Km.) “As a Special Railway Project”	Andhra Pradesh

[F. No. CE/Con/JDB at VSKP/PDT-SCMN Fly Over Line /SRP]

AJAYA KUMAR SAMAL, Chief Engineer (Construction-I)